- 4. यह कि, जिले के अनेक शिक्षक ऐसे हैं जो राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, रहीसों के बेटा, बेटी, पत्नी, बहु, भाई, भौजाई, बिहन, बहनोई, सास,ससुर आदि सगे—संबंधी हितबद्ध तथा एडिड कालेजों, पब्लिकस्कूलों, कोचिंग केंद्रों के संचालक, प्रबंधक, शिक्षक, व्यापारी—उद्योगपित हैं जो कभी पढ़ाने नहीं जाते, इसकें बावजूद उनकी नौकरी—वेतन जारी है।
- 5. यहिक, जिले में अनेक विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ धन-पद के प्रभाव में शिक्षक अपने निवास स्थान के स्कूल में पदासीन हैं और शिक्षामानको की जबरदस्त उपेक्षाकर कोचिंग व्यापार सहित राज्नैतिकदलों में सिक्रय होकर अवैधलाम कमाने में जुटे हैं।
- 6. यह कि, जिले के अधिकांश प्राथिमक व उच्च प्राथिमक स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या पर्याप्त एवं शिक्षकों का अभाव है वहाँ बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कक्षाओं के जाकर शिक्षण कार्य करने में योगदान नहीं दे रहे हैं।
- 7. यह कि, जिले के निजी एवं कांवेण्ट स्कूलों में बड़ी आयु के नर्सरी से 5 के छात्र बने मिले हैं जिन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद जब उन्हें कोई योग्यता नहीं मिली तो यहाँ निम्न क्लासों में एडमीशन लेना पड़ा और पढ़ रहे हैं।
- 8. यह कि, जनपद के अधिकांश प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश छात्रों ने बताया कि यहाँ पढ़ाई न होने के कराण वह प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं, वहीं पढ़ने जाते हैं यदा—कदा यहाँ आकर खाना, ड्रेस, पुस्तकें ले जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो हमें प्राइवेट स्कूल से बुला लिया जाता है।
- 9. यह कि, जिले के अधिकांश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनाप—शनाप धन व्यय किया जा रहा है इसके बावजूद ग्रामसभा के सफाईकर्मी से काम कराया जाना जबकि गांवों में सफाई नहीं होती है, उचित नहीं है।
- 10. यहकि, उक्त स्थिति में शासन द्वारा प्रदत्त मानक, शिक्षक, शिक्षण व्यवस्थाएँ आदि समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहीं हैं।
- 11. यह कि, जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई न होने एवं छात्रों के अज्ञानी बने रहने कारण कोई भी सक्षम व्यक्ति बच्चे को किसी भी स्थिति में सरकारी प्राथमिकस्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक, रसोइया, प्रेरक, प्रधानाध्यापक; बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी., डी.सी., ए.बी.एस.ए.,बी.एस.ए. सहित कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता सरकारी पदासीनता का वेतन—भत्तों की मोटी रकमें लेने के बावजूद अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों पढ़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर अपने प्रतिपाल्यों का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त सुझाव—तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर, फर्रूखाबाद जिले के प्राथमिक, पूर्वमाध्यमिक, माध्यमिक, डिग्री कालेजों एवं निजी आवासों में संचालित अवैध एवं अमानकीय कक्षाओं, स्कूलों, कांवेंट कोचिंग, ट्यूशन पब्लिक स्कूलों के संचालन पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। कर्मचारी आचार संहिता की उपेक्षा एवं विभागीय गोपनीयता भंग पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। फर्जीबाड़ों, फर्जी कार्य, फर्जी संख्या पर नियुक्ति, जिला निजी हवेली छुपाकर तैनाती, मानक उपेक्षा दंडनीय होनी चाहिए। मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान दिया जिला चाहिए।

दिनांक-24-07-2014

(डॉ.नीतू सिंह तोमर) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विस्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

Dr. NEETU SINGH

Pôth Doctorial Fellow

University Grant Commission, Delin

H. FINGUIGHED CORCES
A RUZZ 9886.151H
Counter No:1, CP-Code;09
To:07,
Ludonow 8.P.O., FIN:226001
FromtOR, NETU SINSH, 18LH
Wits 90rams,
FromtOR, 20/07/2017, 12:59

डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

मत्रांक:-२२४ जौलाई / 2017 / दि.14.07.2017

मोबाइल-9389766228 अति गोपनीय एवं आवश्यकीय

मुख्यमंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

विषयःकांशीराम शहरी गरीब आवासों अवैध कब्जों व मानक उपेक्षाओं से प्रभावित दरिद्रहितों के सुरक्षार्थ अनुरोध पत्र महोदय,

दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण—जनसम्पर्क के दौरान मुझे कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटी एवं निवासियों की स्थिति निरीक्षण एवं जनसंपर्क में फर्जी गरीब बन कर आवंटन एवं आवंटित आवासों का बड़ी संख्या में क्रय—विक्रय करके अवैध कब्जाधारकों के निवास तथा आवंटन प्रपत्रों एवं मूलनिवास प्रपत्रों में फर्जीबाडों, मूलनिवास को छुपाकर फर्जी पतों की गरीब से पात्रता सरकारी गरीब आवासों का दुरूपयोग आदि गंभीर अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं। जिससे संबंधित तथ्यों का निम्नलिखित संक्षिप्त रूप कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

(1) यह कि, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनता के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं एवं मानकों के अध्ययन उपरान्त मैंने दरिद्र व्यक्तियों की आवास समस्याओं के निरीक्षण हेतु फर्रूखाबाद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबंटियों, निवासियों एवं उनके प्रतिपाल्यों तथा सामान्य जनता से बातचीत की तथा आवासों के परिवारों की व्यवस्था देखी। जिसके परिणामस्वरूप फर्रूखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के अधिकांश आवंटी एवं निवासी फर्रूखाबाद नगर क्षेत्र अथवा फर्रुखाबाद जनपद के मूल स्थानीय निवासी नहीं हैं और न ही कांशीराम शहरी आवासों के आवंटन में निर्धारित पात्रता के मानक अनुरूप है तथा योजना मानक प्रतिकूल अधिकांश आवंटी तथा निवासी पैतिक लेंटर, जमींन, प्लाट, मोटर साइकिल, फ्रिज, कूलर, दूकान, नौकरी सहित चल-अचल संपत्ति के स्वामी हैं। इसके बावजूद इन आवंटियों एवं निवासियों तथा गैर जनपदीय / प्रदेशीय / गैरक्षेत्रीय सक्षम लोगों ने अपने सगे-संबंधियों के आवास में अपना पत्राचार पता लिखकर तथा मूल .निवास सहित अपनी वास्तविक चल-अचल संपत्ति को छुपाकर अपने को फर्जी गरीब प्रदर्शित कर कांशीराम शहरी गरीब आवास आवंटन पाने में सफल रहे। इन आवंटियों में अनेक ऐसे भी हैं जिन्होंने पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, सास, बहू, लड़का आदि नाम से अनेकों आवास हासिल करने में सफलता पाई है। इन फर्जी गरीबों द्वारा लिए गए अधिकांश आवासों को मोटी रकम लेकर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध को नोटरी कराकर तथा अपने नाम के आवंटन प्रपत्रों को देकर बाहरी व्यापारियों, नौक्री वालों, अपराधियों आदि को बेचा गया है, जिनमें बड़ी मात्रा में खरीददारी किए कब्जेदार अवैद्य रूप से निवासी बने हुए हैं। अधिकांश लगभग 80-90% निवासी ऐसे हैं जिनके पास उपलब्ध आबंटन प्रपत्रों को मनमाने ढंग से दलालों या संगठित पेशेवर अपराधियों द्वारा भर कर मोटी रकम लेकर दिया जाना प्रमाणित है। इस कार्य को संपादित करने वाले तहसील कर्मी, लोकवाणी केंद्र के मालिक, वकीलों एवं उनके दलाल, व्यापारी, नेता, एन.जी.ओ.संचालक, पत्रकार आदि निवासी बनकर अपराधिक गतिविधियां संचालित करते मिले या बताए गए। अनेक आवासों में लगे तालों के आवंटियों के बारे में पता चला है कि इन आवंटियों के निजी मकान हैं और वे अपने निजी मकान में सपरिवार रहते हैं एवं जब कभी यहाँ ऐस करने आते हैं। कुछ आवासों को किराए पर भी उठाया गया है। अधिकांश आवासों में कूलर, फ्रिज, हीटर, कपड़ों की प्रेस, डिस, रंगीन टी.बी, इन्वर्टर, सोफे, कीमती बेड, मोटर साइकिल आदि का स्वामित्व सहित पैतिक मकान, जमीन, प्लाट, संपत्ति नगर एवं गाँव स्थित हैं। कुछ बाहरी जमींदार लोगों ने डेरी-गाय-भैंस, दूकान, गैरेज व्यापार आदि से अतिक्रमण कर गंदगी फैला रखी है। आवासों में

संचालित ज्ञानशाला स्कूलों का व्यापार सरकारी स्कूलों की शिक्षा एवं गरीबों के घातक है। इनकी दहशत एवं उपद्रव से वास्तविक गरीब बुरी तरह से प्रभावित व उत्पीड़ित हो रहा है।

- (2) यह कि, जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय एवं प्रावेशिक विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्ववंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दु:खी, वृद्ध, बीमारी ग्रिसत लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं हैं और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर शेष नहीं रखते हैं।
- (3) यह कि, कांशीराम शहरी गरीब आवासों में फर्लखाबाद नगर क्षेत्र के वास्तविक दरिद्रों यथा भडगड़ों, भिखारियों, कंजडों, जोगियों, नटों, असहाय विघवाओं, असहाय विकलांगों का अमाव एवं अपात्रता से कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना व उसके उद्देश्य नष्ट हों रहे हैं। कांशीराम शहरी गरीब आवासों का विक्रय, अवैध कब्जा, अवैध व्यापार, अपराधिक गतिविधियाँ, अराजकता, फर्जी गरीब बने रहीसों का कब्जा, अवैध वसूली आदि से देश की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रहीं है। सरकारी कार्यों के विज्ञापनों में दिखावा ज्यादा हो रहा है तथा गरीबों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों की उपेक्षा एवं शोषण अधिक रहा है। सरकारी योजनाओं का संचालन भारी फर्जी गरीबों एवं संबंधित अधिकारियों व नेता—दलालों के वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है।
- (4) कांशीराम शहरी गरीब आवासों में मानक प्रतिकूल बने आवंटियों एवं अपात्र निवासियों तथा अवैध कब्जाधारकों को तत्काल आवासों से निकाल (बेदखल) कर उनके विरुद्ध वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए। निजी लेंटरधारियों, गांव—नगर में चल—अचल या पैतृक संपत्ति, व्यापारियों, नौकरी करने वालों, मूल निवास—पता छुपाकर अपनी पत्नी के घर का निवास बताकर आवास पाने वालों, सक्षम व्यक्ति द्वारा पित या पत्नी की नाम से आवास पाने वालों, फ्रिज—कूलर—मोटरसाइकिल—व्यापार प्लाट धारकों, माता—पिता—पुत्र—पत्नी द्वारा अलग—अलग अनेक आवासों के आबंटनों, गैरजनपदी, गौरप्रदेशीय,गैरक्षेत्रीय लोगों के आवंटन, आवासों के क्रय—विक्रय—किराए के आधार पर निवासियों के कब्जों के विरुद्ध तत्काल दंडनीय कार्यवाही करके आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुंरक्षा हेतु मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।
- (5) यह कि, चूंकि मेरे द्वारा निरीक्षण—जनसंपर्क सहित संलग्नक निरीक्षण—तालिका के निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित है कि जनपद फर्रूखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबटियों एवं निवासियों में लगभग 80 से 90% मानक प्रतिकूल एवं अपात्र हैं और फर्जी प्रपत्रों व फंर्जीगरीब बन आवास कब्जा धारक बने हुए हैं जिनके विरूद्ध आवास बेदखल सहित वैधानिक दंडनीय कार्येवाही होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त बिंदुओ पर विचार कर, फर्रूखाबाद जनपद सहित प्रदेश के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटनों में व्याप्त अनियमितता के आधार पर फर्जी दिरद्र बन कर आवास आवंटित कराने वाले तथा आवंटित आवास की क्रय—विक्रय से अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध दंडनीय कानूनी कार्यवाही कर संलग्न सूची में वर्णित अवैध कब्जाधारकों को कालोनी से बाहर कर (बेदखल) मानक एवं दिरद्रहितों की उपेक्षा तथा आवास आबंटन पत्रों के फर्जीबाड़े पर तत्काल अंकुश लगा कर, मानकीय दिरद्रों को ही आवास—व्यवस्था प्रदान करने की कृपा जनहित में अवश्य करें। सधन्यवाद। आदर सहित।

दिनांक 14-07-2017

संलग्नक-(1) फर्रुखाबाद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैधकब्जो का विवेचनेक्न-3-8(डॉ.मीर्न् सिंह तोमर)

(2) कांशीराम शहरी गरीब आवास बंधीआ—फतेहगढ़ के निरीक्षण की सूची-क-9-(3) कांशीराम शहरी गरीब आवास टाउनहाल के निरीक्षण की सूची

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

(3) काशीराम शहरी गरीब आवास टाउनहाल के निरीक्षण की सूची किन्।3 (4) काशीराम शहरी गरीब आवास हैवतपुर-गढिया के निरीक्षण की सूची किन्।40-32

(5) फर्लखाबाद जनपद के नगर-ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक दरिद्रों की सूचिया रिन-33-45 (राउड कार्म का बट कंडर कि

फर्रूखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों का विवेचन

डॉ.नीतू सिंह तोमर एम.ए., पी–एच.डी. समाजशास्त्र, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, यू.जी.सी. नई–दिल्ली।

उत्तर प्रदेश में कांशीराम शहरी गरीब आवास के प्रथम चरण / प्रथम वर्ष-2008-2009 में 101000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया। 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाइयों का प्रथम चरण / वर्ष में निर्माण कराया गया तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया गया। जिन जनपदों में प्रथम चरण में 1500 आवास बनाए गए वहाँ 10 एकड़ भूमि तथा जिन जनपदों में 1000 आवास प्रति जनपद बनाए गए वहाँ 07 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। यदि किसी जनपद में एक साथ भूमि उपलब्ध नहीं हुई तो दुकड़ों में भूमि उपलब्ध कराई गई परन्तु भूमि की कुल उपलब्धता उपरोक्तानुसार 10 एकड़ एवं 7 एकड़ से कम नहीं ली गई। यदि संबंधित मंडलायुक्त या जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उपरोक्त संदर्भित सातों से भूमि योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अंत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना के लिए भूमि सीधे क्रय की गई उक्त क्रय की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में सुनिश्चत की गई।

योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं क्षेत्रफल के अनुसार भवनों का निर्माण कराया गया। प्रत्येक आवासीय इकाइयों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल के (प्लिन्थ एरिया) 35 वर्ग मीटर तथा आवासीय इकाई 2 कमरे, किचिन, लेट्रिन व बालकनी बनाई गई।

चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत आबंटित किए जाने वाले आवास का अधिकतम मूल्य रू.175000 प्रति आवास रखा गया। इसमें अवस्थापना सुविधाओं पर व्यय सम्मलित रहा। चूंकि यह योजना समयवद्ध थी, अतः किसी भी प्रकार की मूल्य में वृद्धि अनुमन्य नहीं हुई। इन भवनों का निर्माण नो प्राफिट—नो लॉस पर किया गया। इसके निर्माण परि किसी भी कार्यदायी संस्था को कोई ओवरहैंड तथा अन्य कोई व्यय नहीं दिया गया।

भवनों का निर्माण अनिवार्यरूप से कम-से-कम 3 मंजिला कराया गया। भवन को ब्लाकों में विभाजित किया गया। ब्लाकों का निर्धारण आवासों के लिए बनी जीनों के आधार पर किया गया। भवनों के प्रत्येक जीने से संबंधित आवास के संग्रह को ब्लाक कहा गया। ब्लाकों में प्रत्येक तल पर 4 आवास जिनमें 2 आवास सीढ़ियों के बाएं एवं दाएं तथा 2 आवास उनके पीछे बनाए गए। प्रत्येक आवासों में एक निकास सीढ़ियों की ओर तथा दूसरा निकास मार्ग से जोड़कर बनाए गए। प्रत्येक ब्लाकों के अन्य तलों के आवासों में 1 निकास सीढ़ियों तथा दूसरा निकास छज्जों से जोड़ा गया। इस प्रकार 3 मंजिला भवनों के प्रत्येक ब्लाकों में 16 आवास बनाए गए।

प्रदेश के जिन जिलों में विकास प्रधिकरण है, वहाँ विकास प्राधिकरण एवं शेष जिले में उ.प.आवास विकास परिषद कार्यदायी संस्था बनाई गई। स्थानीय परिस्थितियों के देखते हुए जनपद में जिलाधिकारी शासन की अनुमति से किसी अन्य शासकीय संस्था को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करा सके थे।

"योजना के अन्तर्गत आवास निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलागों एवं दरिद्रता रेखा के नीचे रहने वाले शहरी दरिद्रों को उपलब्ध कराए कराये जाएंगे। उक्त 3 श्रेणियों के सभी आवंटियों में से 23% भवन अनु.जाति/जनजातियों, 27% भवन पिछड़े वर्गों तथा शेष 50% भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवासीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।"

आवंटन हेतु जिलाधिकारी द्वारा लामार्थियों की सूची उपरोक्त कोटिड में उल्लेखित दिशा निदेशों के अनरूप सूची को ठीक से बनाए जाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का है तथा यथासमय



उन्हीं के द्वारा लाभार्थियों का आवंटन एवं लीज की कार्यवाही की जाती है। यदि जिलाधिकारी चाहें तो आवासों के आवंटन एवं लीज करने की कार्यवाही हेतु किसी स्थानीय शासकीय संस्था की सहायता ले सकते हैं परन्तु सही प्रकार से आवंटन एवं लीज करने हेतु उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का ही है। जिलाधिकार यदि उचित समझे तो डूडा की सहायता ले सकते हैं। लामार्थी आवंटित भवन का कब्जा/लीज किसी व्यक्ति को कब्जा/लीज डीड की तिथि से कम से कम 10 वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा। यदि किसी लामार्थी की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति एवं पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को स्थानान्तरित हो सकेगा।

कांशीराम शहरी आवास योजना में निर्माण उपरान्त आंतरिक अवस्थापना सुविधाओं का रख-रखाव (सड़क, मार्ग प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई आदि) सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा किया किया जाता है। योजना के अन्तर्गत आवंटियों को गृहकर, जलकर से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मुक्त रखा गया है।


योजना के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर एक समिति गठित होती है, जिसकी संरचना— 1 जिलाधिकारी, अध्यक्ष, 2 अपर जिलाधिकारी, सचिव, 3 जिलाकोषाधिकारी, सदस्य, 4 मंडल के सहयुक्त नियोजक, सदस्य, 5 अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य, 6 अधिशासी अभियंता, जल निगम, सदस्य, 7 स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, सदस्य, 8 स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष / सचिव, सदस्य, 9 जिलाधिकारी के विवेकानुसार उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, सदस्य होते हैं।

उक्त समिति जनपद में योजना अनुश्रवण करती है। कार्यदायी संस्था द्वारा आमंत्रित टेण्डर के सम्बन्ध में निविदा की स्वीकृति का अंतिम अधिकार अपरोक्त समिति का रहा है। योजना की गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का रहा है।

शासन द्वारा जनपद को जिलाधिकारी के माध्यम से कांशीराम शहरी आवास योजना में आवंटित धनराशि एकमुश्त उपलब्ध कराई गई, जिसका वित्त पोषण पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा किया गया। जिलाधिकारी द्वारा भी एकमुश्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई।

योजना का प्रदेश स्तर पर नियंत्रण / क्रियान्वयन / अनुश्रवण के लिए नगर विकास विभाग नोडल एवं नियंत्रग विभाग है। नगर विभाग के नियंत्रण में प्रदेश स्तर पर एक प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट (पी.आई.यू.) का गठन किया गया जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। जिसका मुख्य अधिकारी निदेशक, पी.आई.यू. है। कार्यकारी निदेशक के पद पर प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सक्षम अधिकारी को तैनात किया गया। पी.आई.यू में 3 परियोजना अधिकारी को तैनात किया गया, जिसमें 1 परियोजना अधिकारी वित्त क्षेत्र से, 1 अभियंत्रण क्षेत्र से तथा 1 टाउन प्लानिंग क्षेत्र से बनाया गया। वित्त से सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के पद पर वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ एवं अनुमवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तैनाता किया गया। शेष 2 परियोजनाधिकारियों की तैनाती संविदा के आधार या प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई। पी.आई.यू में कार्यकारी निदेशक के साथ 1 प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट तथा 1 सहायक स्टाफ रखा गण। इसी प्रकार तीनों परियोजना अधिकारियों को एक—एक प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट अनुमन्य हुए। इन सभी की तैनाती संविदा के आधार पर की गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा, सफाई तथा अन्य रख-रखाव का कार्य पूर्णतया संविदा के आधार निर्धारित किया गया। पी.आई.यू में कोई नहीं भर्ती नहीं की गई और न ही किसी अधिकारी का संविलियन किया गया। किसी अतिरिक्त स्टाफ / मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ने पर शासन के नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमित से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चत की गई।

पी.आई.यू. का अस्तित्व योजना के पूर्ण होने तक ही रहा। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त पी. आई.यू. स्वतः समाप्त हो गई। परियोजना का अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण पी.आई.यू. द्वारा किया गया। शासन स्तर पर परियोजना के ओवरआल अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए प्रमुख सचिव, नगर



विकास की अध्यक्षता में वित्त, नियोजन, आवास एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी, पी.आई.यू. की एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति बनाई- गई।

शहरी गरीबों को आवास पूर्ति हेतु कांशीराम शहरी आवास प्रबंधन, आबंटन, लामार्थी के लिए जो मानक एवं प्रावधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से राज्य—समाज पर अच्छे—बुरे प्रमावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबंटी—निवासियों की स्थितियों, निगरानी तथा प्रबंधकीय एवं मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर कालोनियों का अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद जनपद में बनी कांशीराम शहरी गारीब आवासों योजना के अन्तर्गत निर्मित 1500 आवासों जिनमें बंधौआ—फतेहगढ़ के 36, टाउन हाल के 168 एवं हैवतपुर गढ़िया के 1296 आवास शामिल है, समस्त आवासों में जाकर निरीक्षण—अवलोकन एवं जनसंपर्क किया तथा सभी आवासों के आवंटियों, निवासियों, परिवारों, प्रतिपाल्यों पड़ोसियों से वार्ता कर स्थिति एवं समस्याओं से संबंधित ब्यान दर्ज किए तथा औपचारिक—अनौपचारिक माध्यम से विमागों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। सरकारी आदेशों, संहिताओं एवं कांशीराम शहरी आवास व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आंकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कांशीराम शहरी गरीब आवासों का आवंटन, आवंटी, निवासी, सुविधाएं, प्रबंधन, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ आदि मानक युक्त हैं या नहीं।

फर्रुखाबाद जनपद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटियों-निवासियों का वर्तमान स्वरूपः

फर्रुखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के अधिकांश आवंटी एवं निवासी फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र अथवा फर्रुखाबाद जनपद के मूल स्थानीय निवासी नहीं हैं और न ही कांशीराम शहरी आवासों के आवंटन में निर्धारित पात्रता के मानक अनुरूप है तथा योजना मानक प्रतिकूल अधिकांश आवंटी तथा निवासी पैतिृक लेंटर, जमींन, प्लाट, मोटर साइकिल, फ्रिज, कूलर, दूकान, नौकरी सहित चल-अचल संपत्ति के स्वामी हैं। इसके, बावजूद इन आवंटियों एवं निवासियों तथा गैर जनपदीय / प्रदेशीय / गैरक्षेत्रीय सक्षम लोगों ने अपने सगे-संबंधियों के आवास में अपना पत्राचार पता लिखकर तथा मूल निवास सहित अपनी वास्तविक चल-अचल संपत्ति को छुपाकर अपने को फर्जी गरीब प्रदर्शित कर कांशीराम शहरी गरीब आवास आवंटन पाने में सफल रहे। इन आवंटियों में अनेक ऐसे भी हैं जिन्होंने पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, सास, बहु, लड़का आदि नाम से अनेकों आवास हासिल करने में सफलता पाई है। इन फर्जी गरीबों द्वारा लिए गए अधिकांश आवासों को मोटी रकम लेकर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध को नोटरी कराकर तथा अपने नाम के आवंटन प्रपत्रों को देकर बाहरी व्यापारियों, नौकरी वालों, अपराधियों आदि को बेचा गया है, जिनमें बड़ी मात्रा में खरीददारी किए कब्जेदार अवैध रूप से निवासी बने हुए हैं। अधिकांश लगभग 80-90% निवासी ऐसे हैं जिनके पास उपलब्ध आबंटन प्रपत्रों को मनमाने ढंग से दलालों या संगठित पेशेवर अपराधियों द्वारा भर कर मोटी रकम लेकर दिया जाना प्रमाणित है। इस कार्य को संपादित करने वाले तहसील कर्मी, लोकवाणी केंद्र के मालिक, वकीलों एवं उनके दलाल, व्यापारी, नेता, एन.जी.ओ. संचालक, पत्रकार आदि निवासी बनकर अपराधिक गतिविधियां संचालित करते मिले या बताए गए। अनेक आवासों में लगे तालों के आवंटियों के बारे में पता चला है कि इन आबंटियों के निजी मकान हैं और वे अपने निजी मकान में सपरिवार रहते हैं एवं जब कभी यहाँ ऐस करने आते हैं। कुछ आवासों को किराए पर भी उठाया गया है। अधिकांश आवासों में कूलर, फ्रिज, हीटर, कपड़ों की प्रेस, डिस, रंगीन टी.बी, इन्वर्टर, सोफे, कीमती बेड, मोटर साइकिल आदि का स्वामित्व सहित पैतिक मकान, जमीन, प्लाट, संपत्ति नगर एवं गाँव स्थित हैं। कुछ बाहरी जमींदार लोगों ने डेरी-गाय-भैंस, दूकान, गैरेज व्यापार आदि से अतिक्रमण कर गंदगी फैला रखी है। आवासों में संचालित ज्ञानशाला स्कूलों का व्यापार सरकारी स्कूलों की शिक्षा एवं गरीबों के घातक है। इनकी दहशत एवं उपद्रव से वास्तविक गरीब बुरी तरह से प्रभावित व उत्पीडित हो रहा है।



'जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन—निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्ववंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख—सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दु:खी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं हैं और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर शेष नहीं रखते हैं।

मानक विहीन व्ययवस्था ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। कांशीराम शहरी गरीब आवासों में फर्रूखाबाद नगर क्षेत्र के वास्तविक दिरद्रों यथा भडगड़ों, भिखारियों, कंजडों, जोगियों, नटों, असहाय विधवाओं, असहाय विकलांगों का अमाव एवं अपात्रता से कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। कांशीराम शहरी गरीब आवासों का विक्रय, अवैध कब्जा, अवैध व्यापार, अपराधिक गतिविधियाँ, अराजकता, फर्जी गरीब बने रहीसों का कब्जा, अवैध वसूली आदि से देश की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रहीं है। सरकारी कार्यों के विज्ञापनों में दिखावा ज्यादा हो रहा है तथा गरीबों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों की उपेक्षा एवं शोषण अधिक रहा है। सरकारी योजनाओं का संचालन भारी फर्जी गरीबों एवं संबंधित अधिकारियों व नेता—दलालों के वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है।

कांशीराम शहरी गरीब आवासों में मानक प्रतिकूल बने आवंटियों एवं अपात्र निवासियों तथा अवैध कब्जाधारकों को तत्काल आवासों से निकाल (बेदखल) कर उनके विरुद्ध वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए। निजी लेंटरधारियों, गांव—नगर में चल—अचल या पैतृक संपत्ति, व्यापारियों, नौकरी करने वालों, मूल निवास—पता छुपाकर अपनी पत्नी के घर का निवास बताकर आवास पाने वालों, सक्षम व्यक्ति द्वारा पित या पत्नी की नाम से आवास पाने वालों, फ्रिज—कूलर—मोटरसाइकिल—व्यापार—प्लाट धारकों, माता—पिता—पुत्र—पत्नी द्वारा अलग—अलग अनेक आवासों के आबंटनों, गैरजनपदी, गौरप्रादेशीय, गैर क्षेत्रीय लोगों के आवंटन, आवासों के क्रब्य—विक्रय—िकराए के आधार पर निवासियों के कब्जों के विरुद्ध तत्काल दंडनीय कार्यवाही करके आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुंरक्षा हेतु शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

तालिका-1

फर्रूखाबाद जनपद के काशीराम शहरी गरीब आवासों के निर्मित भवनों एवं उनके निवासियों की स्थिति									
西甲	योजना	स्थल	कुलब्लाक	ब्लाक आवास	निरीक्षितआवास	आवंटीस्थिति	निवासियोंकीस्थिति	विशेष निष्कर्ष	
1	शहरी गरीबआयास	हैवतपुर	81	16	1296	लाक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकको	80-90%अपात्र	
7	शहरी गरीबआवास	टाउनहाल	14	12	168	लाक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकको	70-85%अपात्र	
3	शहरी गरीब आवास	बंघौआ	3	12	36	लाक/बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकको	75-80%अपात्र	

98 4एल/अएल/अएल

कुल शहरी गरीबआवास

तालिका-2 निरीक्षण-जनसंपर्क अनुसार, फर्रुखाबाद जिल के काशीराम शहरी गरीब आवासों के निर्मित भवनों एवं आबंटियों की स्थिति आवासआवटियों की वर्ग स्थिति आबटियोंकी धर्म स्थिति रथाल आवास स्ताक आबंटियों की जाति स्थिति अझात सामा. पिछडे अनु जजा. हिंदू मुस्लि शिख ईसा शहरीगरीकआवास हैयतपुर 212, 536, 437, 95, 06 अन् वो ९ वा ४, कठे १७, कसई६, पासी १, जाटहरू कंपार, नट १ पिछ बाअहीरक, बबई 15, कहारा 10, कुमी 1, लोपी21, तंबीली 14, मुर्जी, 26, पाल 12, पट 1, तेली 12, काणी 28, नाई 27, धिक 1 ,माली1, <mark>जुंडार24, मला1, लु.2. युगह18, मनि१४, कशीध रेगेह</mark> सामठाकुर12, जुरा2, पमार2, बीह13, रहीर11, सीम2, मदी४ ,मुक्ल15, दुबे1ह, तियरी1ह, मिश्र35, दीवलं1, पांडें४, पडिल2 ६,पाठ१,चीबेट,जोडी२,जयस्थीट,बाज3,जन्मिहोत्री3,गीड 2. पैश्यक्तकाय21, सुनार39 शिया2 खान13 शेख11, मण्डी 2. मिसी1, मिर्जाट, इलवर्डन, प्रदान129 सिदीवर, दर्जीन सुनी 1. रोयद 19, उरमा १, असार 50, हारमी 3 अस्थार असिक इस्ति। असु योची 5, बाल्मी 7, करेंड, कोरी 17 , जाट 1864, कंजर, सटब निफ बारविट कर, बडहेंड, जाडींड, लोबीड, मुर्जी 1, कहार 22. STREET 7. 40. 103. 02 168 16. 164. 04. 00 कुर्मी १, नाईब, अहीर १, अञ्चलार जिनमें १ विश्व छ, १ अनुसूचित सामान्य पविता,ताकुरा,सुनारा,पठाना,शेषविवरणनहीं अनुसूचितजाति ३, पिछडा ०, सामान्य ०, अञ्चात-27 शहरीगरीक्आवास क्यीआ 36 3 27, 0, 0, 09, 00 9, 00, 00, अनुजा.206, पिछ.477,सामा.543,जनजा.इ,अञ्चात 258 कुल गरीबजावास फर्सरबा 1500


Dr. NEETU SINGH

Fost Doctoral Fellow

January Grant Commission, Delay

1500 लाक/बेंचपलायन क्रयकर अवैधकको 75-87 अपात्र

1	an a	जाम (विकास	पार, फलखाबाद जिले व	के काशीराम शहरी गरीब आवार टाउनहाल-स्काबनंड-फर्मणाव	में के भवनों में वर्तमान किन	Day -A
			क्षीआ-फरोहगढ के आबंटी एवं निवासियोंकी हि		५ क हिवतपुर गढिया	1.70
1	1	कुल आवास	36	anaci de taenant di tadio	आबंटी एवं निवासियों की कि	वति
ł	2	युल ब्लाक	3	168	1296	1
1	3	प्रत्येक तलीय आवास भवन की गंजिले	4	14	81	
1	5	नवन का माजल आवटी-निवासी विवरण मिल	3	3	4	
ł	6	आवंटी-निवासी विवरण म	al 9	152	4	3
ł		आवटा-निवासी विवस्त में	मेला 27 (लाक)	16 (लाक)	1081	1
H	7	आबंटी-निवासी सामान्य वर्ग	0	7	212 (लाक)	255
H	8 आबंटी-निवासी पिछडा वर्ग		0		536	5
H	9	आबंटी-निवासी अनु जातिवर		40	437	4
F	10	आवटी-निवासी अ.जन.जारि	net .	103	95	2
L	11	आबटी-निवासी अज्ञात जाति	वर्ग 27 (लाक)	2	6	
-	12	आबटी-निवासी हिन्दू मिले		16 (लाक)	212 (लाक)	255
-	13	आबंदी-निवासी मुस्लिम मिले	0	152	. 964	11
L	14	आबंटी-निवासी सिख मिले	0	4	329	33
L	15	आबंटी-निवासी इंसाइ मिले	0	0	2 ·	2
	16	तला बंद मिले अवास		0		
	17	आबंटी द्वारा बेथे गए सरआव	Title .	39	349	1
	18	झोपढी डालकर अवैध कस्ता	46410	41 (स्वीक्तकथन)	185 (स्वीकृतकथन)	41
1	19	पशु-डेरी व्यापार-अतिक्रमण	0	13		22
1	20	गैरेज,दूकान,तोड़फोड कर कर	1	1	11	24
-	21	आयाशों में कुता पालन केंद्र		14	3	5
-	12	आवास क्रानशालास्कृतको रेटर	0	1	15 प्तस	30 %
-	2	काराम में जनसातास्कृतका रेटर	97 0	0	0	1
-	4	कावास में ब्युटीपालेर व्यापारके	0	3	5	5
-	-	सरकारीप्राइमरी/जुनियर स्कूर	अगाव अगाव		2+	5+
-	5	सरकारी स्वास्थ्य भातृ सुरक्षाके	0	अमाव	अमाव	अभा
2	6	आगनबादी सेंद्र का संचालन	नहीं मिला	. 0	0	0
2	7	सनिति-प्रशासनिक निगरानी	उपेक्षा	नहीं मिला	नहीं मिला	0
21	8 3	राशन कोटा-वितरण दूकान	A STATE OF THE STA	उपेक्षा	उपेक्षा	उपेश
26	1 2	पुलिस मुस्सा केंद्र/पुलिसपीकी	mak.	अझात	यदाकदाखुलती-अनियमित	अनिया
31	1 3	उपनोक्ताओंद्वारा राशन खपनोग	0.4611	उपेक्स	कर्मधारी विद्वीन पुलिस चौकी	
32	3	भावटी,निवासी की वर्तमानस्थिति	अघोलिक्त	संदिग्ध	तेल-अनाज व्यापारी को बेंचते	
33	1 6	ा) अन्य राज्यों से निवासी	SHAHOLORG	अघोलिखित	अधोलिखित	
34	6	र) अन्य जनपदों के निवासी	0 (27 का वियरण अधात)	5	अनेक(पत्नीगाइके,फजी पतेपर	अघोलिरि
35	6	अन्य भगर-क्षेत्र के निवासी	0 (27 का विवरण अज्ञात)	15	व्याक्षियां गाइक, क्रांगा प्रतेपर	अधिका
36	6) जनपदके ग्राम्हें के निवासी	0 (27 का विवरण अञ्चात)	19	44+ (पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकां
37	16) आवंटी एन.णी.ओ संधालक	7 (27 का विवरण अझाल)	5	29+(पलीमाइके,फजी पर्तपर	अधिकां
38	1/2) आवटी धनी परिवार	0	0	33+(पत्नीमाइके फजी प्रतेपर	अधिकां
39	10) आवटा धना पारवार		0	9	9+
-	16) आवंटी होमगाई जवान			17 .	17
41) शराबी—उपद्रवी	The second second	2	2	4
13	10) आवासों का दुस्त्ययोग करते		- 10	2	2+
_	(0)	आवटी स.श.दूकान कोटेदार		12	271	283+
4		बाहरी व्यक्ति			1	1
5		o) बढे रहीस/रहीस		43+	141+	184
6	(11) सरकारी शिक्षक		9+	113	122
7	(12	t) विद्युत कमी नीकश		3	4+	
8	(13) किल,कुलर,बिस,मी सा गैश	6		2+	7+
9	(14) स्थासध्य विमान चपरासी		अधिकांश निवासी-परिवारों के पास	173किज,46कूलरखुलेगेरखेगिले	2
)	(15) ग्राम सभा के सफाई कवी	1		सी.एम.ओ.फर्स,1, अस्पताल 1	60से90प्रकेश
	(16)	श्रमासद की माता-विता		. 3	्राच्या वास्पताल 1	3
	(17)	पेदिक लेटर मकान स्वामी	- t	1सगासद का बेटा	14 (m) -0	3
	(18)	प्राईवेट नौकरी	5 (27का विवरण नहीं मिला)	10	1+ (माई-परिजन आदि)	2+माई आ
1	(19)	स्वलावंदन/अनेकजावास	2	37	6	21
1	(20)	सक्षम परिवार			7	46
+	(24)	अति सदिश्व व्यक्ति	2	5 के लडके सक्षम	32	32+
+	(20)	जात सावच व्यक्ति		The state state	228	235+
+	(un)	दूकानदार/व्यापारी	1	40	4	4
+	(2.3)	भोग विलास की वस्तुएं		49 डिस,रंगीनटी.वी.आदि अधिकांशघरमें	22	72
1	(44)	व्यापार केन्द्र		वर मान्याजाम् अधिकाशघरमे	बिस्र्रंगीनटीवीआदिअधिकांश घर	अधिकांशधर
+	(25)	आबंटी-निवासीकेफर्जीप्रपत्र		16	7.	7
1	(26)	अपराध/अराजक केंद्र		अधिकांश	स्टांप, फोटोस्टे, नोटरी, वोटरकार्ड	अधिकांराप्रपः
1	(27)	नाबालिय को आबटन			2	
1	(28)	नर्स-कंपाउडर			1 जिसके माता पिता सक्षम	2
	(29)	आयनबाडी कार्यकत्री/सहा			3	फर्जीबाटा
10	(30)	फलखाबाद नगर में खेलर		3		3
	(a) as	गवासों पर अवैध कब्जा		31+	24	5+
1	(6) T	वि में जगीन मकान संपत्ति		42+	192	213+
1	(e) f	जी देपो मालिक	4	7	269+	331+
1	(a) =	चैब-असहाय		3	33+	44+
1	(n) ±	वेदार/राजनेता		1भिखारी,६मजबूर,१मूक,३अन्य,१अस डा य	19	22
1	(e) -	क्यार/शाजनता		नगर पालिका फर्सखाबाद में ठेकेदार	45	57
:: O	P) 42	कार/दलाल रकारी नीकरी	1 मुशी कचहरी फतेहगढ़	पत्रकार अनेक दलाल, तहसीलमुत्ती	बीएसपी,सपा के अध्यक्त आदि	फर्जीगरीवयने
7		कार्य नीकर्म		ननकार, जनक दलाल तहसीलमंत्री	Tarbell annual for the last	- THE STREET
0	p) th	Section Street,	1 समाज कल्याण विभाग	2 उत्तर प्रदेश पुलिस	फौजी,6पत्रकार,1आरटीओआ मुशी १वृदा विभाग फर्रुखा,मेंचालक	10+



निष्कर्ष-निरीक्षण-जनसंपर्क सहित संलग्नक निरीक्षण-तालिका के निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित है कि फर्रूखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबिटेंयो एवं निवासियों में लगभग 80% से 90% मानक प्रतिकूल एवं अपात्र हैं और फर्जी प्रपत्रों एवं फर्जी गरीब बनकर आवास कब्जाधारक बने हुए हैं तथा मानक अनुरूप पात्र दिरद्रों का अभाव है। इस स्थिति की पूर्ण संभावनाओं से उ.प्र. के अन्य जनपदों के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटनों एवं निवासियों की स्थिति से नकारा नहीं जा सकता है।

सुझाव-फर्रूखाबाद सहित सभी जनपदों के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के मानक प्रतिकूल एवं अपात्र आबिटियों और निवासियों तथा फर्जी प्रपत्रों एवं फर्जी गरीब बनकर आवासों में अवैंध-कब्जा धारकों के विरूद्ध बेदखल सिहत दंडनीय एवं वसूली वैधानिक कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए। फर्जी गरीबों एवं अपात्रों के आवंटनों तथा खरीद-फरोख्त कर अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों एवं अवैध कब्जेदारों सिहत आवास क्रय-विक्रय करने वालों के विरूद्ध दंडनीय वैधानिक कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए। अपात्र-अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर पात्र दरिद्रों को उक्त आवासों का आवंटन होना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु मानकों-प्रावधानों का अनुपालन जुवाबुदह होना चाहिए।

दिनांक 14-07-2017

(डॉ.नीतू सिंह तोमर) ए.ए., पी-एव.डी.सगाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow

Post Doctoral Commission, Della:



तू सिंह तोमर,एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक:-२२७/ जीलाई / 2017 / दि.14.07.2017 सेवा में.

मोबाइल-9389766228 अति गोपनीय एवं आवश्यकीय

जिलाधिकारी.

जनपद फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय:कांशीराम शहरी गरीब आवासों अवैध कब्जों व मानक उपेक्षाओं से प्रभावित दरिद्रहितों के सुरक्षार्थ अनुरोध पत्र महोदय.

दरिद्र व्यवितयों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क के दौरान मुझे कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटी एवं निवासियों की स्थिति निरीक्षण एवं जनसंपर्क में फर्जी गरीब बन कर आवंटन एवं आबंटित आवासों का बड़ी संख्या में क्रय-विक्रय करके अवैध कब्जाधारकों के निवास तथा अवंटन प्रपत्रों एवं मूलनिवास प्रपत्रों में फर्जीबाडों, मूलनिवास को छ्पाकर फर्जी पतों की गरीब से पात्रता सरकारी गरीब आवासों का दुरूपयोग आदि गंभीर अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं। जिससे संबंधित तथ्यों का निम्नलिखित संक्षिप्त रूप कार्यवाही हेत् आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

(1) यह कि, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनता के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं एवं मानकों के अध्ययन उपरान्त मैंने दरिद्र व्यक्तियों की आवास समस्याओं के निरीक्षण हेत् फर्रूखाबाद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबंटियों, निवासियों एवं उनके प्रतिपाल्यों तथा सामान्य जनता से बातचीत की तथा आवासों के परिवारों की व्यवस्था देखी। जिसके परिणामस्वरूप फर्रुखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के अधिकांश आवंटी एवं निवासी फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र अथवा फर्रुखाबाद जनपद के मूल स्थानीय निवासी नहीं हैं और न ही कांशीराम शहरी विक्रियावासों के आवंटन में निर्धारित पात्रता के मानक अनुरूप है तथा योजना मानक प्रतिकूल अधिकांश के 12 10 आवंटी तथा निवासी पैतिक लेंटर, जमींन, प्लाट, मोटर साइकिल, फ्रिज, कूलर, दूकान, नोकरी सहित चल-अचल संपत्ति के स्वामी हैं। इसके बावजूद इन आवंटियों एवं निवासियों तथा गैर प्रकार प्रता लिखकर तथा मूल निवास सहित अपनी वास्तविक चल-अचल संपत्ति को छुपाकर अपने को फर्जी गरीब प्रदर्शित कर कांशीराम शहरी गरीब आवास आवंदन पारे हैं अनेक ऐसे भी हैं जिन्होंने पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, सास, बहु, लड़का आदि नाम से अनेकों आवास हासिल करने में सफलता पाई है। इन फर्जी गरीबों द्वारा लिए गए अधिकांश आवासों को मोटी रकम लेकर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध को नोटरी कराकर तथा अपने नाम के आवंटन प्रपत्रों को देकर बाहरी व्यापारियों, नौकरी वालों, अपराधियों आदि को बेचा गया है, जिनमें बडी मात्रा में खरीददारी किए कब्जेदार अवैध रूप से निवासी बने हुए हैं। अधिकांश लगभग 80-90% निवासी ऐसे हैं जिनके पास उपलब्ध आबंटन प्रपत्रों को मनमाने ढंग से दलालों या संगठित पेशेवर अपराधियों द्वारा भर कर मोटी रकम लेकर दिया जाना प्रमाणित है। इस कार्य को संपादित करने वाले तहसील कर्मी, लोकवाणी केंद्र के मालिक, वकीलों एवं उनके दलाल, व्यापारी, नेता, एन.जी.ओ.संचालक, पत्रकार आदि निवासी बनकर अपराधिक गतिविधियां संचालित करते मिले या बताए गए। अनेक आवासों में लगे तालों के आवंटियों के बारे में पता चला है कि इन आवंटियों के निजी मकान हैं और वे अपने निजी मकान में सपरिवार रहते हैं एवं जब कभी यहाँ ऐस करने आते हैं। कुछ आवासों को किराए पर भी उठाया गया है। अधिकांश आवासों में कुलर, फ्रिज, हीटर, कपड़ों की प्रेस, डिस, रंगीन टी.बी, इन्वर्टर, सोफे, कीमती बेड, मोटर साइकिल आदि का स्वामित्व सहित पैतिक मकान, जमीन, प्लाट, संपत्ति नगर एवं गाँव स्थित हैं। कुछ बाहरी जमींदार लोगों ने डेरी-गाय-भैंस, दूकान, गैरेज व्यापार आदि से अतिक्रमण कर गंदगी फैला रखी है। आवासों में

(P.19

संचालित ज्ञानशाला स्कूलों का व्यापार सरकारी स्कूलों की शिक्षा एवं गरीबों के घातक है। इनकी दहशत एवं उपद्रव से वास्तविक गरीब बुरी तरह से प्रभावित व उत्पीड़ित हो रहा है।

- (2) यह कि, जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन—निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्ववंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख—सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रिसत लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं हैं और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समुल नष्ट करने में कोई कसर शेष नहीं रखते हैं।
- (3) यह कि, कांशीराम शहरी गरीब आवासों में फर्जखाबाद नगर क्षेत्र के वास्तविक दिरद्रों यथा भडगड्डों, भिखारियों, कंजडों, जोगियों, नटों, असहाय विधवाओं, असहाय विकलांगों का अभाव एवं अपात्रता से कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। कांशीराम शहरी गरीब आवासों का विक्रय, अवैध कब्जा, अवैध व्यापार, अपराधिक गतिविधियाँ, अराजकता, फर्जी गरीब बने रहीसों का कब्जा, अवैध वसूली आदि से देश की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रहीं है। सरकारी कार्यों के विज्ञापनों में दिखावा ज्यादा हो रहा है तथा गरीबों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों की उपेक्षा एवं शोषण अधिक रहा है। सरकारी योजनाओं का संचालन भारी फर्जी गरीबों एवं संबंधित अधिकारियों व नेता—दलालों के वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवित्त पर नियंत्रण अति आवश्यक है।
- (4) कांशीराम शहरी गरीब आवासों में मानक प्रतिकूल बने आवंटियों एवं अपात्र निवासियों तथा अवैध कब्जाधारकों को तत्काल आवासों से निकाल (बेदखल) कर उनके विरुद्ध वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए। निजी लेंटरधारियों, गांव-नगर में चल-अचल या पैतिक संपत्ति, व्यापारियों, नौकरी करने वालों, मूल निवास-पता छुपाकर अपनी पत्नी के घर का निवास बताकर आवास पाने वालों, सक्षम व्यक्ति द्वारा पति या पत्नी की नाम से आवास पाने वालों, फ्रिज-कूलर-मोटरसाइकिल-व्यापार प्लाट धारकों, माता-पिता-पुत्र-पत्नी द्वारा अलग-अलग अनेक आवासों के आवंटनों, गैरजनपदी, गौरप्रदेशीय,गैरक्षेत्रीय लोगों के आवंटन, आवासों के क्रय-विक्रय-किराए के आधार पर निवासियों के कब्जों के विरुद्ध तत्काल दंडनीय कार्यवाही करके आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुंरक्षा हेतु क्रिक्श के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।
- (5) यह कि, चूंकि मेरे द्वारा निरीक्षण—जनसंपर्क सहित संलग्नक निरीक्षण—तालिका के निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित है कि जनपद फर्रुखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबिटेंग्रों एवं निवासियों में लगभग 80 से 90% मानक प्रतिकृल एवं अपात्र हैं और फर्जी प्रपत्रों व फर्जीगरीब बन आवास कब्जा धारक बने हुए हैं जिनके विरुद्ध आवास बेदखल सहित वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त बिंदुओ पर विचार कर, जनपद फर्रूखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटनमें व्याप्त अनियमितता के आधार पर फर्जी गरीब बन कर आवास आवंटित कराने वाले तथा आवंटित आवास की क्रय—विक्रय से अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध दंडनीय कानूनी कार्यवाही कर संलग्न सूची में वर्णित अवैध कब्जाधाकरकों को कालोनी से बाहर (बेदखल) कर मानक एवं क्रिक्टुहितों की उपेक्षा तथा आवास आवंटन पत्रों के फर्जीबाड़े पर तत्काल अंकुश लगाकर, फर्रूखाबाद के मानकीय दरिद्रों को ही आवास—व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें। सधन्यवाद।

दिनांक 14-07-2017

आदर सहित।

संलग्नक-(1) फर्रुखाबाद की कांशीराम शहरी गरीव आवासों पर अवैधकब्जो का विवेचन 2-64 (डॉ.नीतू सिंह तोमर)

(2) कांशीराम शहरी गरीब आवास बंधीआ-फतेहगढ़ के निरीक्षण की सूची-पेक-7

(3) कांशीराम शहरी गरीब आवास टाउनहाल के निरीक्षण की सूची - केंद्र 8-11 विख्विधालय अनुदान आयोग. (4) कांशीराम शहरी गरीब आवास हैवतपुर-गढिया के निरीक्षण की सूची-केंद्र 9-11 विख्विधालय अनुदान आयोग.

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो.

(5) फर्रुखाबाद जनपद के नगर-गामीण क्षेत्रों के वास्तविक दरिद्रों की सूचिया विद-33-43

CONTROL TO COMMISSION DE LA CONTROL DE LA CO

संचालित ज्ञानशाला स्कूलों का व्यापार सरकारी स्कूलों की शिक्षा एवं गरीबों के घातक है। इनकी दहशत एवं उपद्रव से वास्तविक गरीब बुरी तरह से प्रभावित व उत्पीड़ित हो रहा है।

(2) यह कि, जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्ववंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दु:खी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं हैं और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर शेष नहीं रखते हैं।

(3) यह कि, कांशीराम शहरी गरीब आवासों में फर्रूखाबाद नगर क्षेत्र के वास्तविक दरिद्रों यथा भडगड्डों, भिखारियों, कंजडों, जोगियों, नटों, असहाय विधवाओं, असहाय विकलांगों का अभाव एवं अपात्रता से कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। कांशीराम शहरी गरीब आवासों का विक्रय, अवैध कब्जा, अवैध व्यापार, अपराधिक गतिविधियाँ, अराजकता, फर्जी गरीब बने रहीसों का कब्जा, अवैध वसूली आदि से देश की विकास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रहीं है। सरकारी कार्यों के विज्ञापनों में दिखावा ज्यादा हो रहा है तथा गरीबों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों की उपेक्षा एवं शोषण अधिक रहा है। सरकारी योजनाओं का संचालन भारी फर्जी गरीबों एवं संबंधित अधिकारियों व नेता-दलालों के वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है।

(4) कांशीराम शहरी गरीब आवासों में मानक प्रतिकूल बने आवंटियों एवं अपात्र निवासियों तथा अवैध कब्जाधारकों को तत्काल आवासों से निकाल (बेदखल) कर उनके विरुद्ध वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए। निजी लेंटरधारियों, गांव-नगर में चल-अचल या पैतिक संपत्ति, व्यापारियों, नौकरी करने वालों, मूल निवास-पता छुपाकर अपनी पत्नी के घर का निवास बताकर आवास पाने वालों, सक्षम व्यक्ति द्वारा पति या पत्नी की नाम से आवास पाने वालों, फ्रिज-कूलर-मोटरसाइकिल-व्यापार प्लाट धारकों, माता-पिता-पुत्र-पत्नी द्वारा अलग-अलग अनेक आवासों के आबंटनों, गैरजनपदी, गौरप्रदेशीय,गैरक्षेत्रीय लोगों के आवंटन, आवासों के क्रय-विक्रय-किराए के आधार पर निवासियों के कब्जों के विरुद्ध तत्काल दंडनीय कार्यवाही करके आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुंरक्षा हेतु किया के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

(5) यह कि, चूंकि मेरे द्वारा निरीक्षण-जनसंपर्क सहित संलग्नक निरीक्षण-तालिका के निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित है कि जनपद फर्रुखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबटियों एवं निवासियों में लगभग 80 से 90% मानक प्रतिकूल एवं अपात्र हैं और फर्जी प्रपत्रों व फर्जीगरीब बन आवास कब्जा धारक बने हुए हैं जिनके विरूद्ध आवास बेदखल सहित वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त बिंदुओं पर विचार कर, जनपद फर्रूखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटनमें व्याप्त अनियमितता के आधार पर फर्जी गरीब बन कर आवास आवंटित कराने वाले तथा आवंटित आवास की क्रय-विक्रय से अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध दंडनीय कानूनी कार्यवाही कर संलग्न सूची में वर्णित अवैध कब्जाधाकरकों को कालोनी से बाहर (बेदखल) कर मानक एवं क्षेत्रिहितों की उपेक्षा तथा आवास आवंटन पत्रों के फर्जीबाड़े पर तत्काल अंकुश लगाकर, फर्रुखाबाद के मानकीय दरिद्रों को ही आवास-व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक 14-07-2017

संलग्नक-(1) फर्रुखाबाद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैधकब्जो का बिवेचन निर्मा (डॉ.नीतू सिंह तोमर) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो.

(2) कांशीराम शहरी गरीब आवास बंधीआ-फतेहगढ़ के निरीक्षण की सूची-पे -7 (3) कांशीराम शहरी गरीब आवास टाउनहाल के निरीक्षण की सूची-पे - 8-11

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

(4) कांशीराम शहरी गरीब आवास हैवतपुर-गढिया के निरीक्षण की सूची-दन-१२-32

नई-दिल्ली-110002

(5) फर्रुखाबाद जनपद के नगर-ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविक दरिद्रों की सूचियां कि-33-43

CX33031-46-33-36, GTOH-37-41, 472-42, 302 and 40 to Dr. NEETU SINGH Pest Doctoral Fellow रिलामन-जुल वेदा- 1 खालार- पाउ (वेदान-प्रथ)



में

4,

an or

डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र

विद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 iक:— २२३ /जून/2017/दिनांक.12.06.2017 फोन 9389766228

अध्यक्ष/सचिव/परियोजना निदेशक अध्यक्षि जिला एवं नगर विकास अभिकरण जनपद फर्रूखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

फर्रूखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क में सहयोग प्रदान करने हेतु।

मैं **डॉ.नीतू सिंह तोमर**, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई–दिल्ली–110002, जो कि 'फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं' के निरीक्षण में कार्यरत हूँ।

महोदय, दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं को जानने हेतु फर्रूखाबाद जनपद के नगर क्षेत्र निवासियों से जनसम्पर्क एवं नगर भ्रमण में जिला एवं नगर विकास अभिकरण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एंव दिरद्र आवास आबंटियों के सहयोग की अवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद के 'दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं' के अवलोकन—निरीक्षण—जनसम्पर्क एवं भ्रमण कार्य में फर्रुखाबाद जनपद केजिला एवं नगर विकास अभिकरण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं दिरद्र आवास आबंटियों का सहयोग प्रदान कर गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें। सधन्यवाद।

सद्भावनाओं सहित।

दिनांक:-12-06-2017 संलग्न-अधिकार पत्र की प्रति माध्यम डॉ.नीतू सिंह, (डॉ.नीतू सिंह तोमर)

भवदीया

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई—दिल्ली—11000 Dr. NEETU SINGH

> Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Defhi

oll

od S.O. FIN:209601 SINGH . FVB

06/2017 .14:15

indiapost gov.



6/2017 ,14:14 |indiapost.gov.in>)

2096255 2432714 E-Code:09 India Pos CHIV 4 S.O. FIN:209601 में.

06/2017 ,14:15 .indiapost.gov.in

oll

SINGH . FKR

डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र प्रोक्ट टॉक्टोरल फेले

खविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 iक:— २२७ / जून / 2017 / दिनांक.12.06.2017 फोन 9389766228

अध्यक्ष/सचिव/परियोजना निदेशक अध्यक्ष/जिला एवं नगर विकास अभिकरण

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क में सहयोग प्रदान करने हेतु।

मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली-110002, जो कि 'फर्रुखाबाद जनपद के दिद व्यक्तियों की समस्याओं है निरीक्षण में कार्यरत हूँ।

महोदय, दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं को जानने हेतु फर्रुखाबाद जनपद के नगर क्षेत्र निवासियों से जनसम्पर्क एवं नगर भ्रमण में जिला एवं नगर विकास अभिकरण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एंव दिरद्र आवास आबंटियों के सहयोग की अवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि फर्रूखाबाद जनपद के 'दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं' के अवलोकन-निरीक्षण-जनसम्पर्क एवं भ्रमण कार्य में फर्रूखाबाद जनपद केजिला एवं नगर विकास अभिकरण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं दिरद्र आवास आबंटियों का सहयोग प्रदान कर गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें। सधन्यवाद।

सद्भावनाओं सहित।

दिनांक:-12-06-2017 संलग्न-अधिकार पत्र की प्रति माध्यम डॉ.नीतू सिंह, (डॉ.नीतू सिंह तोमर)

भवदीया

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-11000 Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Delhi



6/2017 ,14:14 indiapost.gov.in>>

2096250 PASCOTIN P-Code:09 India Post CHIV M S.O. PIN:209601 In SINSH , FVB में.

06/2017 ,14:15 e.indiapost.gov.in

oll

डॉ.नीतू सिंह तोमर,एम.ए.पी-एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

खिद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली—110002 iक:— २२७ / जून / 2017 / दिनांक.12.06.2017 फोन 9389766228

अध्यक्ष/सचिव/परियोजना निदेशक अध्यक्ष/जिला एवं नगर विकास अभिकरण

जनपद फर्रुखाबाद, स्थान फतेहगढ़।

फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क में सहयोग प्रदान करने हेतु।

मैं डॉ.नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली-110002, जो कि 'फर्रुखाबाद जनपद के दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण में कार्यरत हूँ।

महोदय, दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं को जानने हेतु फर्रूखाबाद जनपद के नगर क्षेत्र निवासियों से जनसम्पर्क एवं नगर भ्रमण में जिला एवं नगर विकास अभिकरण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एंव दिरद्र आवास आबंटियों के सहयोग की अवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि फर्रुखाबाद जनपद के 'दिरद्र व्यक्तियों की समस्याओं' के अवलोकन—निरीक्षण—जनसम्पर्क एवं भ्रमण कार्य में फर्रुखाबाद जनपद केजिला एवं नगर विकास अभिकरण के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं दिरद्र आवास आबंटियों का सहयोग प्रदान कर गरिमामयी योगदान अवश्य प्रदान करें। सधन्यवाद।

सद्भावनाओं सहित।

दिनांक:-12-06-2017 संलग्न-अधिकार पत्र की प्रति माध्यम डॉ.नीतू सिंह, (डॉ.नीतू सिंह तोमर)

भवदीया

पोस्ट डॉक्टोरल फेलो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली-11000 Dr. NEETU SINGH

Post Doctoral Fellow University Grant Commission, Defhi

तय केन सोसायटीज नेहरू(पी०जी०) कालेज, हरदोई



(नैक द्वारा 'बी' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय)

/पी०डी०ए५०/अधिकार पत्र/2016

दिनांक 05-02-2016

अधिकार पत्र

सक्षम अधिकारी

अध्यक्ष तिम्रेज परियाना अस्मा (331) सम्बद्धारा विकास डो मेन्या

डाँ० नीतू सिंह तोमर पत्नी श्री एन० सिंह सेंगर, पोस्टडॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय ान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 का मानीटरिंग केन्द्र सी०एस०एन० जीव) कालेज, हरदोई है और यह समाजशास्त्र विषय में दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं को व्रेत करने हेतु जनपद फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं जिन्हें फर्रुखाबाद जिले के ं व्यक्तियों से सम्बन्धित समस्याओं को जानने के लिए फर्रुखाबाद जनपद के समस्त प्तनिक अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, सामान्य जनों तथा विभागों-लयों से आवश्यक निरोक्षण-सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है तथा जनपद फर्रुखाबाद रिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण-जनसम्पर्क कार्य में डॉo नीतू सिंह तोमर का

ोग आपेक्षित है।

BUT

niversity Grani Commission, Delh



RL MUTWALI ROAD (209601) A RU542093625IN Counter No:1,0P-Code:02 TO:PRINCIPAL, PREM KISHAN KHANNA JALALABAD, PIN: 242001

FYOM: DR. NEETU SINGH , PDF UNIVERCITY GRANT COMMISSIO Deburd-5-5-2017 Wt:30grams,

4-52017-11:20 Int PS:27.00, ,01/05/2017 ,14:00 <<Track on www.indiapost.gov.in>> Door locard

तोमर, एम.ए.,पी–एच.डी.(समाजशास्त्र पोस्ट डॉक्टोरल फेलो

ायोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

ानवास=79 / 180, अपरदुर्गा कालोनी, फतेहगढ़, जनपद–फर्रूखाबाद–209601

पत्रांक-रूप/17/मई-17/दि.01.5.2017 सेवा में, प्राचार्य

मोबाइल-09389766228, 9455709093 पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित

प्रेम किशन खन्ना राजकीय डिग्री कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।

विषयः सेमिनार प्रस्तुतियों को निजी लाम की पुस्तक में प्रकाशित कराए जाने से प्रस्तुतियों के दुरूपयोग के विरूद्ध कार्यवाही हेत् महोदय.

आपके पत्रांक 12/2017-18/संगोष्ठी/दि.22.4.2017 के साथ संलग्नक पुस्तक 'भारत में उच्च शिक्षा दशा एवं चुनौतियों जो कि नेशनल सेमिनार से प्रथक एवं डॉ.उमेश शाक्य के निजी स्वः लाभ तक सीमिति है और इस निजी पुस्तक में डॉ.शाक्य द्वारा जो मैटर प्रकाशित किया गया है वह राजकीय डिग्री कालेज जलालाबाद में दि.27-28 फरवरी 2016 नेशनल सेमिनार में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का मैटर है। इसके बावजूद पुस्तक में कालेज-सेमिनार संबंधी विवरण एवं सेमिनार कमेटी, कालेज प्राचार्य, सेमिनार वैधता के बारे में कुछ भी नहीं लिखकर अपने माता-पिता को पुस्तक समर्पित की गई है, जिसके कारण प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का दुरूपयोग से जहाँ डॉ.उमेश को पुस्तक का निजी लाभ सहित पुस्तक का मूल्य रू.600 लाम प्राप्त हो रहा है वहीं प्रतिभागियों को सेमिनार का उद्देश्य अभी तक अधूरा बना हुआ है।

महोदय, विशेष रूप से अपने द्वारा प्रेषित पत्रों पर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि आप द्वारा जो पुस्तक डाक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई थी वह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित होने पर डॉ.उमेश द्वारा पुस्तक का मूल्य रू.600 नकद धनराशि लेकर पुस्तक मुझे उपलब्ध कराई गई थी जिसकी वैधता एवं लाभ सेमिनार के प्रतिभागियों के स्थान पर डॉ.शाक्य तक सीमित रहने तथा सेमिनार प्रस्तुतियों का दुरूपयोग होने तथा प्रतिभागियों का उद्देश्य अपूर्ण रहने से कार्यवाही हेतु मैंने दि.24.9.2016 सहित आपको पत्र भेजे थे इसके बावजूद आप द्वारा जो बुक भेजी गई है यह वही पुस्तक है जिसकी फोटोप्रति सहित शिकायत भेजी थी। यह बुक प्रस्तुतियों के दुरूपयोग होने का अकाट्य साक्ष्य है

महोदय, डॉ.उमेश शाक्य ने अपने निजी संपादन में जो पुस्तक "भारत में उच्च शिक्षा : दशा एवं चुनौतियाँ" प्रकाशित कराकर मुझे देकर पुस्तक का मूल्य लिया गया था उस पुस्तक में संगोष्ठी में प्रस्तुत शोधपत्रों को दुरूपयोग कर अपने निजी लाभ हेतु प्रकाशित कराया है। इस बुक में सेमिनार की कमेटी, प्राचार्य, कालेज का नाम सहित संगोष्ठी का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। बुक प्रकाशन में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्देश्य, शोघपत्रों का दुरूपयोग एवं संगोष्ठी के मानकों की जबरदस्त उपेक्षा की गई है।

महोदय, राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रस्तुतियों के दुरूपयोग एवं सेमिनार मानको की उपेक्षा से प्रकाशित अवैध पुस्तक को निरस्त कर प्रस्तुतियों को मानकीय जर्नल में प्रकाशन कराया जाना जरूरी एवं समीचीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, दि.27-28 फरवरी 2016 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रस्तुतियों के दुरूपयोग एवं सेमिनार मानकों की उपेक्षा से प्रकाशित अवैध पुस्तक के प्रकाशन को तत्काल निरस्त कर, प्रस्तुतियों सहित मेरी प्रस्तुति उच्च शिक्षाःविद्या विधान एवं संस्थान (फर्रूखाबाद जनपद के कालेजों का वर्तमान स्वरूप) को सेमिनार-जर्नल में प्रकाशित कराकर प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया

दिनांक:-01-05-2017

संलग्न-सेमिनार प्रस्तुतियों को दुरूपयोग कर प्रकाशित निजी बुक के प्रमुख पृष्ठों की फोटोकापी एम.ए.,पी-एच.डी., समाजशास्त्र जिसके आघार पर श्रीमान्जी द्वारा सुस्तक का अवलोकन् एवं कार्यवाही आवश्यक है। पोस्ट डॉक्टोरल फेलो,वि.वि.अ.आ.दिल्ली (व) उत्यक्षितानित्रात एवं कत्यांक की जी को के विषय किए पान 16 की इसिट्सी) Dr. NEETU SINGH

Post Dectoral Fellow, A University Grant Commission, Dobi 2096010101 (209601)

RLA RU3958169651N


Counter No:1.0F-Code:02

To:REGIONAL HIGHER EDUC, ATION HIDSHEK

HEREILLY. PIN: 243001 Lewel and anaron 5:55 Pm

पारतीय खक

Wt:20urams. PS:22.00. . 22/04/2017 . 11:36 «Have a nice day»



BLL

पत्रांक- २/3 / अप्रैल / 2017 / दि.21-04-2017 सेवा में,

मोबाइल-9389766228 गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक,

बरेली परिक्षेत्र (मंडल), बरेली, उत्तर प्रदेश। विषय: प्रेम किशन खन्ना डिग्री कालेज जलालाबाद में वेतनभोगियों की ड्यूटी पलायन से प्रभावित शिक्षा मानकों की सुरक्षा महोटय

आज दिनांक 21.04.2017 को पूर्वोह 10:35 बजे प्रेम किशन खन्ना राजकीय डिग्री कालेज जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर गईं थी। कालेज वर्किंग डे होने के बावजूद कालेज में कोई भी शिक्षक, लिपिक, प्राचार्य और वपरासी मौजूद नहीं थे जिसके कारण कालेज कार्य से आने वाले छान्न—अभिमावकों को समस्या निस्तारण बगैर वापस होना पड़ रहा था। तो मैं कालेज के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद 2 व्यक्ति मेरे पास आए। एक ने अपने को दैनिक मजदूर तोताराम तथा दूसरे ने अपने को आउटसोसिंग—ठेकदार का कर्मी राजवीर बताते हुए कहा कि आज की परीक्षा के उपरांत सभी शिक्षक अपने घर चले गए हैं तथा तोताराम ने फोन पर लिपिक सीताराम से कालेज आने के बारे में पूंछा तो सीताराम ने कहा कि वह बरेली बाजार में हैं इसलिए आज नहीं आएंगे तथा कार्य. प्राचार्य डॉ.श्रीकृष्ण यादव से तोताराम की बात होने पर पता चला कि वह शाहजहांपुर में हैं। कालेज के 2 चपरासी देवेंद्रपाल सिंह एवं किशललाल बाल्मीक जो लखनऊ निवासियों के बारे में तोताराम ने बताया कि वह कभी भी कालेज ड्यूटी पर नहीं आते हैं और कालेज ड्यूटी न करने के बावजूद कालेज चपरासी पद का वेतन ले रहे हैं ऐसे लोगों के कार्य एवं गतिविधयां अति संदिग्ध बताई गई हैं। कालेज के कार्यवाहक प्राचार्य ने भी फोन पर बताया कि वह गायब चपरासियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में अक्षम हैं।

महोदय, प्रेम किशन खन्ना राजकीय डिग्री कालेज जलालाबाद में भवन, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों सहित छात्रवृत्ति एवं शिक्षा व्यवस्था के नाम पर देश-राज्य की बहुत बड़ी रकम व्यय होने के बावजूद वेतनभोगियों की पूर्ण कालिक कालेज ड्यूटी के अभावों एवं लम्बी दूरी पर स्थिति आवासों से दैनिक यात्रा कर कालेज आकर शिक्षण-कालेज ड्यूटी में अनियमितता से जहां एक ओर छात्र-अमिभावकों एवं सामान्य जनों को अपनी शैक्षिक समस्याओं निराकरण हेतु परेशान होना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के मानको का जबरदस्त उपेक्षा से शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है, बताया गया है। प्राप्त जानकारी के आधार पर कालेज में कार्यरत व्यक्तियों की ड्यूटी स्थिति निम्नलिखत प्रकार से है।

क्रम	नाम	पद	विषय	मूल निवासी	वर्तमान निवास	निवास से कालेज	ड्यूटी की स्थिति
1	श्रीकृष्णयादव	का.प्रा	इतिहास	बलिया	शाहजहांपुर	35 किलो मीटर	दैनिक यात्रा करके ड्यूटी
2	डॉउमेशकुमार	प्राध्या	अर्थशास्त्र	भोगांव-मैनप्	फर्रूखाबाद	55 किलो मीटर	दैनिक यात्रा करके ड्यूटी
3	डॉकीर्तिआनंद	प्राध्या	समाज.	हरदोई	हरदोई	60 किलो भीटर	दैनिक यात्रा करके ड्यूटी
4	डॉअवधेशपाल	प्राध्या	शाशिक्षा	फतेहगढ	फतेहगढ	60 किलो मीटर	दैनिक यात्रा करके ड्यूटी
5	डॉ.शशिवाला	प्राध्या	राजनीति	मेरठ	जलालाबाद	1 किलोमीटर	स्थानीय आवास म निवास
6	सीताराम	क्लर्क	आफिस	फरीदपुरबरेली	फरीदपुरबरेली	75 किलो मीटर	दैनिक यात्रा करके ड्यूटी
7	रामविलास	चपरा	कालेज	सीतापुर	कालेज कैंपस में	कालेज कैंपस में	ना ना नामा करका वृत्रा
8	देवेंद्रपालसिंह	चपरा	कालेज	लखनऊ	अज्ञातऊलखनऊ	कालेड्यूटीपलायन	कभीकालेजड्यूटीनहीआता
9	किशनपाल	चपरा	कालेज	लखनऊ	अज्ञातकलखनक	कालेड्यूटीपलायन	कमीकालेजड्यूटीनहीआता
10	तोतारामयादव	मजदू	डेलीवेजि	जलालाबाद	कालेज कैंपस में	कालेज कैंपस में	24 घंटे का 4000 मासिक
11	राजवीरपाल	ठेका	आउसोर्स	गुरूसहायगंज	कालेज कैंपस में	कालेज कॅपस में	24 घंटे का 7500 मासिक
12	ज्योतिभरद्वाज	स्वीपर	दिहाड़ी	जलालाबाद	जलालाबाद	स्थानीय	3000 मासिक मजदरी

महोदय, उक्त विवरण-तथ्यों से स्पष्ट है कि जिनको सरकारी वेतन की मोटी रकम भुगतान हो रही है उनमें से अनेक लोगों का कालेज ड्यूटी से पलायन के बावजूद कालेज से वेतन भुगतान अति गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा अनियमितता कर रहे बांछितों के विरूद्ध तत्काल दंडनीय एवं बर्खास्तगी कार्यवाही होना अति आवश्यक एवं समीचीन है।

अतः अनुरोध सहित सुझाव है कि, उक्त तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर प्रेम किशन खन्ना राजकीय डिग्री कालेज जलालाबाद में व्याप्त अनियमितताओं एवं छान्न—जन उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर मानुकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में गरिमामयी योगदान अवस्य प्रदान किया जाना चाहिए।

आदर सहित।

दिनांक 21-04-2017

सूचनाथ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रति-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प. लखनऊ।


(डॉ.नीतू सिंह तोमर) पोस्ट डॉक्टोस्ल फेलो

पोस्ट डॉक्टोस्ल फलो विश्वविक्रित्य अहरू अप्रयोग नई-दिल्ली-110002

Post Doctoral Fellow. University Grant Commission, Demi RL KUTWALI ROAD (209601) A FU542093038IN Counter No:1,0P-Code:02 TO: SACHIV HOERT, CENTRAL OFFICE

NEW DELHI, PIN:110001 From DR. NEETU SINGH , FOST DIRECTORAL FELOW UGC DELH

20-42017Hav2 Wt:20grams, PS:22.00, ,15/04/2017 ,14:58 PS:22.00, ,15/04/2017 ,14:58 (Track on www.indiapost.gov.in) at 16:3:07



।वश्वावद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली-110002

पत्रांक: 🛂 🗸 अप्रैल / 2017 / दि. 15.04.2017

मोबाइल-9389766228 गोपनीय एवं अति आवश्यकीय

अध्यक्ष / संचिव,

एन.सी.आर.टी, नई दिल्ली।

विषयः फर्रूखाबाद के स्कूलों में एक भवन में संचालित माध्यमिक, डिग्री, पब्लिक स्कूलों पर अंकुश लगाने हेतु महोदय,

फर्रुखाबाद जनपद के दरिद्र व्यक्तियों की समस्याओं के निरीक्षण एवं जनसम्पर्क के दौरान जिले के मान्यता प्राप्त स्कूलों के एक ही भवनों में सी.बी.एस.ई,यू.पी.बोर्ड,परिषदीय स्कूलों सहित डिग्री-लॉ-बी.एड.कालेज कालेज एवं पब्लिक स्कूलों का संचालन कर अवैध धन उगाही होते मिली हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुघार हेतु अघोलिखित तथ्य व सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

- (1) यह कि, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित जनसामान्य के कल्याण के लिए शैक्षिक योजनाओं के अध्ययन उपरान्त मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रूखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिक समस्याओं के निरीक्षण हेतु 6 नगरों के 117 वार्ड एवं 7 ब्लाकों की 513 ग्रामसमाओं में 315 ग्रामसमाओं का भ्रमण-जनसंपर्क कर जिले के केंद्रीय, राजकीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा, मूकबिचर, आश्रम पद्धति, स्ववित्त, एडिड, अनएडिड स्कूलों तथा प्रौद्धशिक्षा-आंगनबाड़ी केंद्रों, डिग्री कालेजॉ, पालीटेक्निक,आई.टी.आई.,पब्लिक स्कूलॉ मान्यता-गैर मान्यता विद्यालयॉ, मदरसॉ, ईश्वरीय विश्वविद्यालयॉ में जाकर विद्यार्थियों तथा बस्तियों के शिक्षित-अशिक्षित बच्चों, किशोरों, युवा, प्रौढ, वृद्ध स्त्री-पुरूषों से वार्ता कर उनकी शिक्षा और निरक्षरता की वास्तविक स्थिति एवं शैक्षिक समस्याओं का मूल्यांकन किया। जिसके परिणामस्वरूप 90-95% कृषक-मजदूर निरक्षर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 85-95% स्त्रियां, 80-90% पुरूष, शहरी क्षेत्रों में लगभग 80-90% स्त्रियां, 70-80% पुरूष निरक्षर मिले। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह मिली जहाँ की अशिक्षा और निरक्षता 95-100% बनी हुई है। अध्ययनरत छात्र, किशोर-किशोरी, प्रशिक्ष एवं शिक्षा डिग्री-डिप्लोमा घारिकों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता व निरक्षरता की झलक दिखाई दी। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, युवाओं को सूर्योदय एवं सूर्यास्त की दिशाओं व अक्षर ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद-प्रदेश के निवासी हैं। लिखना-पढ़ना उनके वश की बात नहीं। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बनी हुई है।
- (2) यह कि, समाज के प्रत्येक व्यक्ति और उसके सभी प्रतिपाल्यों को शिक्षित करने के लिए फर्रूखाबाद जिले में बहुत बड़ी संख्या में इंटरकालेज, डिग्रीकालेज, परिषदीय, केंद्रीय, नवोदय, कस्तुरबा, आश्रम पद्धति आदि विद्यालय सहित आगंनबाड़ी, सर्वशिक्षा केंद्र तथा एडिड विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, गेस्ट शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकत्री, सहायिका, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी सहित रसोइया, सेवक, स्वीपर, लिपिक, आदि बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। जिनके वेतन-मत्तों, छात्रवृत्तियों, भवनों तथा मिड-डे-मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है। इसके बावजूद उ.प्र.के फर्रूखाबाद जनपद के अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को इन स्कूलों में पढ़ा कर भविष्य बर्वाद करने हेत् तैयार है। सरकारी सुविधा प्राप्त स्कूलों में पढ़ने-पढ़ाने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इनमें जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश छात्र या तो फर्जी हैं अथवा अज्ञानी हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों तथा अनिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा फर्रूखाबाद जनपद की शिक्षा की वास्तविकता उजागर करती है।
- (3) यह कि, जिले के केंद्रीय, राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक एवं एडिड विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक, सेवक, रसोइया, स्वीपर, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर कार्यरत हैं। शैक्षिक व्यवस्था हेतु स्कूल समितियां एवं पी.टी. ए.बने हैं। समितियों की सदस्यता व गठन में पदाधिकारियों-सदस्यों के प्रतिपाल्य का छात्र होना आवश्यक है। जिनकी निगरानी-देखरेख का जबाबदेह उत्तरदायित्व है। इनके प्रस्ताव-अनुमोदन बिना कोई भी व्यवस्था-भूगतान पूर्णतया प्रति बंधित है। छात्रों को दूध, फल, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, बस्ते, तौलिया, साबुन जरूरी वस्तुओं सहित मानकीय शिक्षा-पाठ्यक्रम एवं शिक्षण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जिसका लेखा प्रत्येक शिक्षक की डायरी पर दैनिक दर्ज होना जरूरी है जिसके आधार पर ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर समिति के अध्यक्ष के विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। जिसकी जबरदस्त उपेक्षा है।
- (4) यह कि, जनपद के अधिकांश बड़े-बड़े स्कूल भवन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढ़ाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा स्कूल भवन-सम्पत्ति का दुरूपयोग, धनउगाही, परीक्षा में नगल, प्रबंधकों के निवास, निजी कृषि-व्यापार, राजनीतिक अखाड़े, दावतों के भंडारे, मिड-डे-मील का दुरूपयोग, पौणालिक स्थलों एवं पाकों की भांति बच्चों की उछल-कूद, शिक्षकों-रसोइयों के गुट-गपशप, दयूशन, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी बातचीत आदि के नजारे दिखते हैं। कार्यरत अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने के लिए यदा-कदा स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाए बिना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण कार्य वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं।

अनेक शिक्षक बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। मिड—डे—मील के रंगीन—चावल छात्रों को एवं मानकीय भोजन—दूध—फल शिक्षक, रसोइयों, प्रबंधकों द्वारा चट कर छात्रों की फर्जी उपस्थित दर्ज कर ली जाती है। मिड—डे—मील का बचा राशन बंदरबांट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड—डे—मील व्यवस्था खत्म होने पर छात्र—जनता पर कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा परन्तु शिक्षक—प्रबंधक व उनके परिजन मूखे अवश्य रह जाएंगे।

- (5) यह कि, जिले के स्कूलों में रसोइया व स्कूल समितियों के अध्यक्ष पदों पर कार्यरत अधिकांश के बच्चे स्कूल के छात्र नहीं हैं। इनमें अधिकांश अपने परिजनों सिहत समाजवादी—विधवा—वृद्ध पेंशन धारी होने के बावजूद प्रबंधक व शिक्षकों की कृपा से पदासीन हैं। अधिकांश रसोइया स्कूल में खाना न बनाकर शिक्षकों—प्रबंधकों के घर पर काम करती हैं। रसोइया कार्यों में दिलतों का पूर्णतया अमाव है और जो दिलत रसोइया हैं उनसे स्कूलों में खाना न बनवाकर स्वीपर का काम ित्या जा रहा है। मिड—डै—मील की बड़ी मात्रा रसोइया अपने घर ले जाती हैं और परिजनों सिहत पशुओं को खिलाती हैं। अनेक रसोइयों के पित, बेटे—बहुएं एवं शिक्षक—प्रबंधकों के नौकर स्कूल समितियों के अध्यक्ष बने हुए हैं जो बिना बैठक—प्रस्तावों के फर्जी अनुमोदनों से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं करने में जुटे हुए हैं। स्कूल समितियों के रैकेट्स में शिक्षकों के फर्जीबाड़े अति गतिशील हैं। सरकारी स्कूलों में सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि इनमें कार्यरत लगमग सभी रसोइया एवं उनके परिजन तथा उनके लगमग सभी प्रतिपाल्य निरक्षर हैं। बड़ी संख्या में निरक्षरता फर्जी साक्षरता का प्रमाण है। इसके बावजूद शिक्षकों, प्रेरकों, शिक्षामित्रों, कार्यकत्रियों की पदासीनता वेतन—भत्ते जारी हैं जबकि जनपद के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षा एवं निरक्षरता के शिकार हैं। जो देश के लिए कलंक है।
- (7) यह कि, जिले के अधिकांश एडिड इंटर कालेज में पब्लिक स्कूलों का संचालन हो रहा है जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता सी.बी.एस.सी., यू.पी.बोर्ड, परिषदीय हिन्दी—अंग्रेजी माध्यम से बताकर मारी धन उगाही की जा रही है। सरकारी एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक अनेक डिग्री—पब्लिक स्कूलों को संचालित कर अवैध लाभ कमाने में जुटे हैं। एडिड कालेजों में कार्यरत अधिकांश शिक्षक एवं कर्मचारी अनेके निजी विद्यालयों के संचालक निदेशक, प्रबंधक, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, दलाल, शिक्षा माफिया हैं जिनका निवास संबंधित स्कूलों के पास न होकर अन्य गांव—नगर में हैं और वे ड्यूटी से पर नहीं जाते। उनकी जगह अन्य लोग ड्यूटी खानापूर्ति करते हैं। फर्जी छात्रों का पंजीकरण, छात्रों—किशोरों को शिक्षण—प्रशिक्षण पूर्णतया फर्जी हो रहा है।
- (8) यह कि, अधिकांश एडिड स्कूलों की प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों ने अपने परिजनों पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद एवं सगे—संबंधी हितबद्ध लोगों को चपरासी—लिपिक पदों पर नियुक्त कर लेने के बावजूद विरासत के आधार पर प्रबंध समितियों में दशकों से पदासीन हैं और विद्यालयों की सम्पत्ति—धन का दुरूपयोग कर निजी लाम ले रहे हैं।
- (9) यह कि, जिले के मोहम्मदाबाद में संचालित आश्रम पद्धित विद्यालय अनुसूचित एवं जनजाति के दरिद्र बच्चों के लिए है तथा कुछ सीटों पर दिरदों के बच्चों को भी प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को आवासीय सुविधा सिहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसका लाम पात्र दिरद्रों के स्थान पर फर्जी दिरद्रों—अपात्रों का दिया जा रहा है। वास्तविक पात्र दिरद्र वंचित—निरक्षर हैं।
- (10) धार्मिक स्थलों एवं अल्पसंख्यकों के नाम पर संचालित स्कूलों में धर्म व शिक्षा का दुरूपयोग होकर छात्र—छात्राओं को अंधविश्वासों का अंधानुकरण करने हेतु बाद्ध किया जाता है। दान—अनुदान एवं छात्रवृत्तियों को हड़पकर मठाधीश व्यक्तिगत लाम कमाने में जुटे हैं। फर्जीबाड़े पर अनेक अधिकांश मदरसों की शिक्षा अति संदिग्च एवं समाज विरोधी है।
- (11) यह कि, जिले के गैर पंजीकृत ईश्वरीय विश्वविद्यालयों का संचालन अवैध हैं। नरक, भूत-प्रेतों का भय एवं आत्मा-जीवन उद्धार का लालच देकर किशोर-किशोरियों-प्रौढ़ों को फंसाकर लाया जाता है। पूजा-पाठ कर्मकांडों से जन-समर्थन प्राप्त कर फंसे लोगों को रात्रि के अंधेरे में इधर-उधर न जाने कहाँ ले जाया जाता है। यहाँ किशोरियों को चिड़ियाधर की भांति रखा है तथा अपराध जगत में सक्रिय व्यक्ति को ईश्वर बताकर उनसे युवतियों का शोषण-संसर्ग उपरांत विधवा जीवन व्यतीत करने हेतु बाद्ध किया जाता है। इनकी गतिविधियां व्यक्ति-समाज के लिए अत्यंत धातक हैं।
- (12) यह कि, जिले में संचालित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों में अधिकांश ऐसे छात्र हैं जो सरकारी स्कूलों में पंजीकृत हैं या रहे हैं एवं उनके अभिमावक सरकारी योजनाओं का लाम यथा समाजवादी, विधवा, बिकलांग पेंशन सहित दरिद्र कल्याण हेतु बनी योजनाओं का लाम लेकर सरकारी स्कूलों में नौकरी—अध्यक्षता कर रहे हैं। निजी स्कूलों के छात्रों से सम्बन्धित विचारणीय तथ्य यह है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण करने के बावजूद जब छात्रों को निरक्षर होना पड़ता है तो उन्हें पुनः पब्लिक स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा है और बड़ी उम्र में भी निम्न शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
- (13) यह कि, फर्रूखाबाद जनपद में संचालित मा.शि.प. इलाहाबाद से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त एडिड एवं स्विवत्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों की अधिकांश प्रबंध समितियों के पदाधिकारी—सदस्य स्थानीय समुदायों के जन—साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, अभिभावक नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानकानुरूप है। शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबंधतंत्रों के पदाधिकारी—सदस्य परिजन माई—बिहन, पुत्र—पुत्री, पिता—माता, पित—पत्नी, सास—ससुर, बहू, मतीजे, साले—बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, साझेदार, गैर—जनपदीय आपसी हितबह हैं। इन स्कूलों के लोग अपने निजी लाम के लिए व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर रहे हैं। सोसाइटी एक्ट—1856 एवं शिक्षा अधिनियम की उपेक्षा कर स्व:लाम हेतु परिजनों, भाई—बिहन, पुत्र—पुत्री, पिता—माता, पित—पत्नी, बहू, मतीजे, साले—बहनोई, नौकर, स्व:जातीय, साझेदार आपसी हितबहों को प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारियों के पदों पर आसीन कर एवं कालेजों में शिक्षणकार्य कराए बिना छात्र—छात्राओं को मनचाहे सर्टीफिकेट का लालच देकर अवैध वसूली व